



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222161
CG-DL-E-01102020-222161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3039]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942

No. 3039]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3409(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कारबी आंगलोंग ऑटोनोमस कौंसिल डिपार्टमेंट ऑफ़ राजस्व, दिफू (NH29) के कि.मी 49 से कि.मी 155 असम राज्य के तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH29 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉइंट सेक्रेटरी (राजस्व)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH29 के कि.मी. 49 से 155 तक	असम	कारबी आंगलॉग	फुलोनी	1 3 नं. फुलोनी
						2 लैंगहिन टाउन 1
						3 लैंगहिन टाउन 2
						4 टेटेलिगुड़ी नं. 2
						5 3 नं. बहोनी आदर्श
						6 2 नं. आरा गाँव

[फा. सं. JRT/NHIDCL/GM/LA/PKG-II/01/2020]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3409(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 49KM To 155KM (Section-3 & 4) of Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue, Diphu (NH29) in the State of ASSAM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ASSAM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH29 in the State of ASSAM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Joint Secretary (Revenue)	49KM To 155KM	ASSAM	KARBI ANGLONG	Phuloni	1	3 No. Phuloni
						2	Langhin Town 1
						3	Langhin Town 2
						4	Teteliguri No. 2

						<table><tr><td>5</td><td>3 No. Bahoni Adarsha</td></tr><tr><td>6</td><td>2 No Ara Gaon</td></tr></table>	5	3 No. Bahoni Adarsha	6	2 No Ara Gaon
5	3 No. Bahoni Adarsha									
6	2 No Ara Gaon									

[F. No. JRT/NHIDCL/GM/LA/PKG-II/01/2020]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.